

समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आपूर्ति शाखा)

उपावंटन आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-20 (बजट)/खाद्य दिनांक-20.09.2016 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या-18 उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या N-3456000010002, गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में प्राप्त आवंटन में से निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को तालिका "क" एवं "ख" में नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती हैं।

तालिका "क"

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का पदनाम	वेतन	जी०या० भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला आपूर्ति पदा०, मुंगेर	745000	940000	90000	8400	1783400	
2	अनुमण्डल पदा०, सदर, मुंगेर	450000	700000	70000	3000	1223000	
3	अनुमण्डल पदा०, तारापुर	125000	220000	15000	1200	361200	
4	अनुमण्डल पदा०, खड़गपुर	180000	340000	25000	2400	547400	
कुल :-		1500000.00	2200000.00	200000.00	15000.00	3915000.00	

(उन्वालीस लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)।

तालिका "ख"

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का पदनाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06 01)	कार्यालय व्यय (13 01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13 02)	योग
1	2	3	4	5	6
1	जिला आपूर्ति पदा०, मुंगेर	251000.00	-	-	251000.00
2	उप समाहर्ता, प्रभारी जिला नजारत, मुंगेर	-	25000.00	18000.00	43000.00
कुल :-		251000.00	25000.00	18000.00	294000.00

(दो लाख चौरानवे हजार रुपये मात्र)।

(1) यह राशि मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या N-3456000010002, मांग संख्या-18 (गैर योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।


(2) यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.2016 एवं पत्रांक-4572/वि० दिनांक-23.06.2016 के आलोक में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

(3) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।


(4) इस आवंटन से न्यायिक मामलों से संबंधित वादों एवं सेवा निवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान कर देंगे ताकि बैसे मामलों में न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़े।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गई राशि की इकाईवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र "क" एवं "ख" में अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

(6) इस आवंटन से स्वीकृत बल के अधीन में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।



जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...987.../जि0आ0, दिनांक...27.09.2016...
प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, मुंगेर/तारापुर/
खड़गपुर/उप समाहर्ता प्रभारी, जिला नजारत, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...987.../जि0आ0, दिनांक...27.09.2016...
प्रतिलिपि :- सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।